छत्तीसगढ़ में पेसा का कार्यान्वयन

आर प्रसन्ना

सचिव,

छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ में पांचवी अनुसूची क्षेत्र

विवरण	जिले	ब्लॉकों की संख्या	
कुल	28	146	
पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र	14	72	85
आंशिक अनुसूचित क्षेत्र	06	13	
ग्राम पंचायत	कुल 11,664 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित क्षेत्रों में 5,632 ग्राम पंचायतें (48.28%)		
ग्राम	कुल 20,126 ग्रामों में से अनुसूचित क्षेत्रों में 9977 ग्राम (49.5%)		

विधायी व्यवस्था

- पंचायती राज अधिनियम, 1993 में पेसा से संबंधित प्रावधान
- अन्य संबद्ध मामलों के अधिनियमों व नियमों में पेसा से संबंधित प्रावधान

पंचायती राज प्रावधान

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया है और दो नियमों को उनके समर्थन में बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, **1993** की धारा 129 - क से च

छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया और कार्य का संचालनन) नियम, **1998**

छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजार और मेलों का नियमन) नियम, **1994**

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993

अध्याय 14 क : अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान

129 क
परिभाषाएं

परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार बस्ती स्तर के गांव का प्रावधान करना

129
गांव और ग्राम सभा का गठन

बस्ती स्तर की ग्राम सभा का प्रावधान करना

अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाएगी

एक तिहाई कोरम
(एक तिहाई महिलाएं होगी)

129 ग
ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य

ग्राम के क्षेत्र के भीतर उनकी परंपरा के अनुसार भूमि, पानी और वनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना

129 घ
ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम बाजारों और मेलों का प्रबंधन करना,
स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और व्यय को नियंत्रित करना

129 ङ
टों का आरक्षण

अनुसूचित जन जातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करना

अनुसूचित जन जातियों के लिए हर स्तरों पर अध्यक्ष का पद आरक्षित करना

मध्यवर्ती स्तर पर अनुसूचित
जन जातियों का नामांकन

129 च
जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां

एक निर्दिष्ट जल क्षेत्र तक लघु जल निकायों की योजना बनाना अपनाना और प्रबंधन करना

पेसा नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है

✓मॉडल पेसा नियमों के साथ छः राज्यों के पेसा नियमों का अध्ययन और तुलना की गई।
✓पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में समुदायों के साथ व्यापक फील्ड स्तरीय परामर्श किया गया।
✓ जनजातीय समूहों और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया।
✓विधायकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।
✓सभी विभागों के साथ उनके फीडबैक के लिए मसौदा साझा किया गया है।

संगत विभागों के अधिनियमों और नियमों में संशोधन किए गए

- राजस्व विभाग
  - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959
  - छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934
  - छत्तीसगढ़ एलएआरआर (सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति और सार्वजनिक सुनवाई) नियम, 2016
- उत्पाद कर विभाग
  - छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915
- खनन विभाग
  - छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015
  - छत्तीसगढ़ लघु खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यापार) नियम, 2019
- कृषि (मत्स्य पालन) विभाग
  - छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन नीति, 2003
- वन विभाग
  - छत्तीसगढ़ राज्य वन नीति, 2001

राजस्व विभाग

छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959

धारा **170-ख (2-क)** ग्राम सभा को आदिवासी जनजाति के सदस्यों की धोखाधड़ी से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस करने का अधिकार दिया गया है। पहले यह शक्ति एसडीएम के पास होती थी।

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934

पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में साहूकारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

छत्तीसगढ़ एलएआरआर (सामाजिक प्रभाव आकलन,
सहमति और सार्वजनिक सुनवाई) नियम, 2016

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। यदि ग्राम सभा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर कोई आपत्ति उठाती है तो कलेक्टर द्वारा समुचित सुनवाई के बाद उसका निपटान किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क विभाग

छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 :
अध्याय VIII क : अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

61घ

छूट

अनुसूचित जनजातियां घरेलू उपभोग और सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए आसवन करके देशी स्पिरिट का निर्माण कर सकती हैं

(अधिकतम सीमा 5 ली.)

61ड़

ग्राम सभा द्वारा मादक पदार्थों का उत्पादन और बिक्री करने पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाया जाएगा

ग्राम सभा की सहमति या अनुमति के बिना राज्य सरकार द्वारा किसरी भी मादक पदार्थ के निर्माण के लिए कोई कारखाना या बिक्री के लिए कोई आउटलेट स्थापित या खोला नहीं जाएगा

61च

ग्राम सभा के निर्णयों का प्रवर्तन

ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी

ग्राम पंचायत एसडीएम की भी मदद ले सकती है

खनन विभाग

छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम 2015

नियम **4 (4) :** अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस या खनिज पट्टा देने से पहले ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सिफारिश अनिवार्य होगी।

नियम **4 (5) :** अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी द्वारा लघु खनिजों का दोहन करने के लिए छूट प्रदान हेतु ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होगी ।

छत्तीसगढ़ लघु खनिज सामान्य रेत (उत्खनन और व्यापार) नियम, 2019

नियम **3 (5) :** अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, **1996** (1996 का क्रमांक **40**) के प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा।

कृषि (मत्स्य पालन) विभाग

प्रबंधन के अधिकार पंचायतों के सभी तीनों स्तरों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:

1. ग्राम पंचायत : 10 हेक्टेयर तक
2. जनपद पंचायत : **10-100** हेक्टेयर तक
3. जिला पंचायत **100-2000** हेक्टेयर तक

वन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य वन नीति, 2001

4.5.2 राज्य को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, **1996** के प्रावधानों के तहत स्थानीय समुदायों को एफ.एम.पी. के मालिकाना हक प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

प्रशासनिक ढ़ांचा

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

प्रावधान :

1. पांच मंडलों में मंडल स्तर पर पेसा समन्वयक
2. 5,632 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत पेसा मोबिलाइजर
3. राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान में पेसा विशेषज्ञ

मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना

प्रावधान :

1. **पंचायती राज, पेसा निगरानी और योजना विशेषज्ञ**

पेसा के सुदृढ़ीकरण के लिए एफ.आर.ए. 2006 का प्रयोग

समुदाय अधिकार

- एमएफपी के स्वामित्व, उपयोग, मूल्य वर्धन और बिक्री के अधिकार और जल निकायों, चराई, संस्कृति, जैव विविधता जैसे अन्य सामुदायिक अधिकार (पीईएसए के प्रासंगिक प्रावधान: धारा 4 (डी))

समुदाय अधिकार

क्र. सं.	दायर किए गए दावे	अनुमोदित किए गए दावे	प्रदत्त मालिकाना हक	भूमि वितरण (हैक्टेयर में)
1	50806	46251	45432	1950728.680

पेसा के सुदृढ़ीकरण के लिए एफ.आर.ए. 2006 का प्रयोग

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

- सामुदायिक वन संसाधनों का सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और पबंध (सी.एफ.आर.) (पेसा के संगत प्रावधन : धारा 4 (झ),(ञ),(ट) और (ठ)

समुदाय वन संसाधन अधिकार

क्र. सं.	दायर किए गए दावे	अनुमोदित किए गए दावे	प्रदत्त मालिकाना हक	भूमि वितरण (हैक्टेयर में)
1	3647	3551	3113	1375160.07

राज्य जनजातीय विभाग ने धमतरी जिले में पी.वी.टी.जी. के पर्यावास अधिकारों (एफ.आर.ए. की धारा (1) (ड़) के तहत विशेष प्रावधान) की मान्यता का कार्यान्वयन शुरु किया है।

समावेशी योजना और बजट आबंटन के ज़रिए अनुसूचित क्षेत्रों के विकास पर बल

- जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के आधार पर बजट आबंटन
- कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन में विकेंद्रीकृत योजना पर बल
- विभाग और कार्यक्रम के बीच अभिसरण और सामंजस्य

क्रम सं.	विकास शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटन	टी.एस.पी. के अंतर्गत बजट आबंटन	आबंटन का प्रतिशत
2019-20	60886.79	19721.02	32.39
2020-21	61102.06	20919.60	34.24
2021-22	61252.86	21200.94	34.61

अनुसूचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए उन्नत शिक्षा सुविधाएं

प्रयास आवासीय विद्यालयों की प्रगति

12वीं बोर्ड परीक्षा परीणाम

वर्ष	संस्थान का नाम	पास %	90% और अधिक अंक पाने वाले छात्र
2019	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर	97.80%	15
2020	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और कांकेर	98.00%	20
2021	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर	99.60%	48 3

10वीं बोर्ड परीक्षा परीणाम

वर्ष	संस्थान का नाम	पास %	90% और अधिक अंक पाने वाले छात्र
2019	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, और कांकेर	100%	70
2020	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, जशपुर और कांकेर	99.70%	254
2021	प्रयास बाल/ बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपूर, कोरबा,	100%	99.50

- जनजातीय परामर्शी परिषद्
- बस्तर विकास प्राधिकरण
- सरगुजा विकास प्राधिकरण
- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- जनजातीय परामर्शी समिति
- पांडो विकास प्राधिकरण
- भुंजिया विकास प्राधिकरण

धन्यवाद

आर. प्रसन्ना
सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ सरकार